विद्युत उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम, (द.वि.वि.नि.लि.),

कानपुर मण्डल, कानपुर।

परिवाद संख्या - 36/2021

इन्डस टावर लि., छठवी फ्लोर, बी.बी.डी. विराज टावर,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)

------- परिवादी /आवेदक

बनाम

अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड (द.वि.वि.नि.लि.)
छिबरामऊ।

-------विपक्षी

अध्यासीन (उपस्थित) : (1) श्री संतोष कुमार तिवारी (कार्यवाहक अध्यक्ष/तकनीकी सदस्य)
(2) श्री संजीव कुमार गुप्ता (सदस्य/अनु.)

निर्णय

इन्डस टावर लि., छठवी फ्लोर, बी.बी.डी. विराज टावर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) द्वारा इनर्जी कन्ट्रोलर ने अपने विद्वान अधिकृत अधिवक्ता मो. कौसर जाँह द्वारा दिनांक 12.10.2021 को अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, छिबरामऊ, कन्नौज (दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड) के विरूद्ध अपने संयोजन सं. 781705716677 के सम्बंध में त्रुटिपूर्ण मीटर एवं विद्युत बिलों में संशोधन के सम्बंध में इस फोरम के समक्ष परिवाद दाखिल किया गया है। परिवाद में मूख्यरूप से निम्न बिन्दुओं पर बल दिया गया है:-

(a) विद्युत विलों की धनराशि में विद्युत वितरण कोड 2005 के धारा 6.5 (c) के अनुसार संशोधन किया जाये।

(b) अधिक जमा की गयी धनराशि का समायोजन आगामी विलों में विद्युत वितरण कोड 2005 की धारा 6.5 (c) के अनुसार किया जाय।

(c) विपक्षी को विद्युत वितरण कोड 2005 की धारा 6.5 (b) (i) के अनुसार विलम्ब अधिभार (LPSC) को माफ करने हेतु निर्देशित किया गया।

(d) वाद खर्च के भुगतान हेतु आदेश पारित किया जाय।

(e) अन्य कोई आदेश जिससे उपभोक्ता का अधिकार संरक्षित रहे।

आगे जारी है।

इण्डस टावर लि. टालाग्राम, गुरशहाय गंज, छिबरामऊ संयोजन सं. 781705716677 स्वीकृत भार 7.50 KW का Previous Arrear और Previous Surcharge रु. 5,78,734/- था।

विपक्षी ने जवाबदावा (का.सं. 3/1 ता 3/6 एवं संलग्नक का.सं. 3/7 ता 3/8) दाखिल किया है। धारा 1 के कथन विवादित नहीं है। धारा 2 के कथन असत्य व अस्वीकार है। परिवादी के द्वारा अपने कथन के समर्थन में टेली कम्यूनिकेशन डिपार्टमेंट से जारी फर्म /परिवादी के पंजीकरण प्रमाण पत्र की कोई प्रतिलिपि पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं की है। जिसके कारण परिवादी का कथन पूर्णतया गलत है। परिवादी का पंजीकरण प्रमाण पत्र न होने के कारण परिवादी का परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है। धारा 3 के कथन विधिक प्रावधानों से सम्बन्धित है जिनके सम्बन्ध में कोई कथन करने की आवश्यकता नहीं है। धारा 4 के कथन में यह स्वीकार है कि परिवादी के द्वारा अपने नाम से विद्युत कनेक्शन खाता संख्या 78170716677 विपक्षी / प्रतिवादी से प्राप्त किया था। यह कनेक्शन वाणिज्यिक विधा के श्रेणी में आता है जिसका स्वीकृत भार 7.50 किलेवाट है तथा परिवादी के ऊपर दिनांक 24.05.2018 तक की अवधि का बकाया बिल 5,78,734/- है तथा उक्त बिल के उपरान्त से परिवादी के विरूद्ध बिलिंग बन्द है। धारा 5 के कथन पूर्णतया असत्य व अस्वीकार हैं। परिवादी के द्वारा विद्युत बिल का भुगतान नहीं करने के कारण उसका विद्युत कनेक्शन बकाया धनराशि पर विच्छेदित किया गया था। प्रत्येक बिल , बिल कम नोटिस होता है। जिसमें अलग से नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है। परिवादी के द्वारा यदि किसी बिल का भुगतान निर्धारित ड्यू डेट पर नहीं किया जाता है तो उसकी विद्युत सप्लाई विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56 के तहत विच्छेदित किये जाने योग्य है। धारा 6 के कथन पूर्णतया असत्य व अस्वीकार हैं। परिवादी के द्वारा कभी पूर्ण विद्युत बकाया धनराशि का भुगतान नहीं किया गया। जिसके कारण उसके ऊपर बकाया धनराशि माह दर माह बढ़ती गयी। परिवादी के कंज्यूमर हिस्ट्री जो कि अक्टूबर 2013 से 24.05.2018 तक की है, से भी स्पष्ट है। जिसमें सदैव ही उसके ऊपर बकाया धनराशि दर्शित हो रही है। इस कंज्यूमर हिस्ट्री की फोटो प्रतिलिपि परिवाद पत्र का संलग्नक 1 है तथा कंज्यूमर के लेजर की फोटो प्रतिलिपि संलग्नक 2 है। जिसके अनुसार परिवादी के द्वारा कभी भी पूर्ण बकाया धनराशि का भुगतान नहीं किया गया। धारा 7 के कथन असत्य व अस्वीकार हैं। परिवादी के द्वारा कभी भी विद्युत कनेक्शन को जोड़ने हेतु प्रार्थना पत्र मय डिस्कनेक्शन एवं रिकनेक्शन चार्ज तथा बकाया धनराशि का भुगतान करते हुए नहीं की गयी और न ही ऐसा कोई प्रलेख परिवादी के द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत किया गया। धारा 8 के कथन असत्य व अस्वीकार है। परिवादी का विद्युत कनेक्शन स्थिति क्षेत्र अर्द्धनगरी क्षेत्र में आता है ग्रामीण क्षेत्र में नहीं है। जिसके कारण वह बिल में किसी प्रकार की ग्रामीण विद्युत सप्लाई का छूट का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। धारा 9 के कथन जिस प्रकार लिखे गये हैं अस्वीकार हैं। धारा 10 के कथन विधिक प्रावधानों से सम्बन्धित है जिनके संदर्भ में कोई कथन करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ यह बताना आवश्यक है कि

आगे जारी है।

परिवादी को समय-समय पर माह दर माह के बिल जारी किये गये यदि परिवादी को किसी बिल में कोई त्रुटि प्रतीत होती थी तो वह बिल में वर्णित धनराशि को अन्तर्गत विरोध जमा करते हुये अपना प्रतिवेदन उप खण्ड अधिकारी के कार्यालय में अथवा विपक्षी के कार्यालय में कर सकता था। किन्तु ऐसा कोई भी प्रयास परिवादी के द्वारा नहीं किया गया। पुनः नम्बरित धारा 10 के आशिंक कथन विधिक हैं। जिनके सम्बन्ध में कोई कथन करने की आवश्यकता नहीं है। किन्तु शेष आंशिक कथन असत्य व अस्वीकार है। परिवादी के द्वारा बिल के सही न होने के संदर्भ में परिवाद पत्र को प्रस्तुत करने से पहले कोई भी बिल को सही करने हेतु कोई प्रर्थना पत्र /शिकायत पत्र प्रस्तुत नही किया और ऐसा कोई प्रलेख भी पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं है। धारा 11 के कथन असत्य व अस्वीकार है। परिवादी को विधिक प्रावधानों के अनुसार विद्युत ऊर्जा प्रदान की जा रही है तथा बिल भी उ.प्र. विद्युत नियामक आयोग के द्वारा समय-समय पर जारी टैरिफ के अनुसार जारी किये जा रहें है। धारा 12 में अभिलिखित किया है कि परिवादी के द्वारा उपरोक्त परिवाद झूठे एवं मनगढ़न्त तथ्यों के आधार पर दाखिल किया गया है। जो कि पोषणीय नहीं है तथा निरस्त किये जाने योग्य है। धारा 13 में अभिलिखित किया है कि परिवादी के द्वारा विद्युत बिल का भुगतान न करने पर उसका विद्युत विच्छेदन विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56 के तहत किये जाने योग्य होता है तथा यदि विद्युत विच्छेदन के कारण भी परिवादी के द्वारा विद्युत का उपभोग न किया जा सके तो उसके लिये विपक्षी विभाग जिम्मेदार नहीं होता है तथा विच्छेदन की अवधि में भी परिवादी टैरिफ के अनुसार न्यूनतम/फिक्स्ड धनराशि का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है। धारा 14 में अभिलिखित किया है कि परिवाद दाखिल करने वाले व्यक्ति का कोई भी अधिकार पत्र पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। धारा 15 में अभिलिखित किया है कि यदि परिवादी के द्वारा रू. 5,78,734/- तथा न्यूनतम गारण्टी धनराशि /फिक्सड धनराशि व डिस्कनेक्शन व रिकनेक्शन धनराशि का भुगतान विपक्षी के कार्य़ालय में कर दिया जाये तो विपक्षी परिवादी का विद्युत कनेक्शन पुनः चालू कर देगा।

निष्कर्स

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का परिशीलन किया गया।

(1) पत्रावली के परिशीलन से यह स्पष्ट हो रहा है कि परिवादी द्वारा मांगे गये अंतरिम अनुतोष के बाबत इस फोरम द्वारा दिनांक 21.10.2021 को यह आदेशित किया गया था कि परिवांदी के दिनांक 24.05.2018 की अवधि का बकाया बिल रू. 5,78,734/- के विरुद्ध रु. 2,75,000/- जमा करने पर परिवादी का संयोजन जोड़ दिया जाये जिसके अनुपालन में परिवादी द्वारा दिनांक 11.11.2021 को 2,75,000/- जमा कर दी गयी इसके उपरान्त उपभोक्ता ने दिनांक 27.07.2022 को रु. 2,36,045/- जमा किया गया इससे परिलक्षित होता है कि उपभोक्ता बिल का भुगतान करना चाहता है। अतः विपक्षी द्वारा परिवादी को संशोधित एवं त्रुटि रहित सम्पूर्ण विवरण के साथ बिल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें जिससे उपभोक्ता विद्युत बिलों का भुगतान समय से कर सके।

आगे जारी है।

आदेश

इन्डस टावर लि., छठवी फ्लोर, बी.बी.डी. विराज टावर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) का परिवाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है और विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि संशोधित बिल उपभोक्ता को उपलब्ध करायें एवं जांचोपरान्त यदि उपभोक्ता को ग्रामीण फीडर से आपूर्ति प्रदान की जा रही हो तो नियमानुसार Tarrif के अनुसार बिल संशोधित करें। पक्षकार अपना-अपना वाद व्यय स्वयं वहन करें। विपक्षी अनुपालन आख्या 30 दिवस के अन्दर फोरम को प्रेषित करना सुनिश्चित करे।

(संजीव कुमार गुप्ता)
सदस्य/अनु०

09/11/22
(संतोष कुमार तिवारी)
कार्यवाहक अध्यक्ष/तकनीकी सदस्य

दिनांकः- 9 /11/2022

प्रस्तुत आदेश आज हस्ताक्षरित एंव दिनांकित होकर खुले फोरम में उदघोषित किया गया।

संजीव कुमार गुप्ता)
सदस्य/अनु०

09/11/22
(संतोष कुमार तिवारी)
कार्यवाहक अध्यक्ष/तकनीकी सदस्य

दिनांकः- 09 /11/2022

Distribution :- (i) परिवादी (ii) विपक्षी (iii) प्रबंध निदेशक (द.वि.वि.नि.लि.) (iv) मुख्य अभियन्ता (वितरण), कानपुर मण्डल, कानपुर (v) रिकार्ड प्रति